ध्वनि प्रदूषण

पी.डी.मैथ्यू

शिष्टाचार की मांग है कि हमारा व्यवहार ऐसा हो जो हमारे पड़ोसियों की जीवन की गुणवत्ता में आड़े न आए। यह भूलना नहीं चाहिए कि पड़ोस में सो रहे छोटे बच्चों को शांत वातावरण में सोने का अधिकार है। परीक्षा की तैयारी में लगे छात्रों का अधिकार है कि वे अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकें। इसी तरह बूढ़े और अशक्त लोगों का हक बनता है कि वे अपने फुरसत के क्षण शांति से, बिना ध्वनि प्रदूषण के, गुज़ार सकें।

कुछ सवाल-जवाब

प्रश्न - शोर यानी क्या?

उत्तर - कोई भी अनपेक्षित या अनचाही आवाज़ शोर बन सकती है। खासकर जब परिस्थितियां उन्हें अशांति का कारण बना दें।

प्रश्न - ध्वनि प्रदूषण लोगों को कैसे प्रभावित करता है?

उत्तर - अगर शोर तीव्रता के स्वीकृत स्तर को पार कर जाए तो वह प्रदूषण बन जाता है। ध्वनि प्रदूषण लोगों को मानसिक तनाव या शारीरिक हानि पहुंचा सकता है। बहुत ज़्यादा शोर या आवाज़ें अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी वातावरण को खराब कर देती हैं। ध्वनि प्रदूषण सार्वजनिक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाता है।

प्रश्न - इस ध्वनि प्रदूषण के स्रोत क्या-क्या हैं?

उत्तर - इसके स्रोत औद्योगिक और गैर-औद्योगिक हो सकते हैं। औद्योगिक यानी मशीनों, कारखानों आदि का शोर और गैर-औद्योगिक यानी लाउड स्पीकर, वाहनों, हवाई जहाज़ों, रेल, निर्माण कार्य, सामाजिक-धार्मिक उत्सव, भाषण आदि।

प्रश्न - ध्वनि प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियां कौन-कौन सी हैं?

उत्तर - ध्वनि प्रदूषण से सुनने की क्षमता स्थाई या अस्थाई तौर पर नष्ट हो सकती है, इसके अलावा सुनने में असुविधा, रक्तचाप में वृद्धि, तनाव, नींद में गड़बड़ी, पाचन तंत्र में गड़बड़ी आदि तकलीफें भी हो सकती हैं।

प्रश्न - ध्वनि को नापने की इकाई क्या है?

उत्तर - डेसिबल।

प्रश्न - ध्वनि कब स्वास्थ्य के लिए हानिकर बन जाती है?

उत्तर - 90 डेसिबल से ज़्यादा लगातार शोर से तंत्रिका तंत्र में स्थाई बदलाव हो जाते हैं।

प्रश्न - शहरों के लिए शोर का सुरक्षित स्तर क्या है?

उत्तर - विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसका स्तर 45 डेसिबल तय किया है।

प्रश्न - मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई का

भारत में ध्वनि प्रदूषण सम्बंधी प्रावधान

- संविधान की धारा 21: जीने का अधिकार।
- संविधान की धारा 47: लोगों के स्वास्थ्य में सुधार राज्य की ज़िम्मेदारी है।
- संविधान की धारा 48: लोगों व पर्यावरण की सुरक्षा और इसमें सुधार।
- धारा 51 (जी): पर्यावरण का संरक्षण और इसमें सुधार राज्य का कर्त्तव्य है।
- वायु (संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण) कानून 1981 परिच्छेद 2 (अ)
- पर्यावरण (संरक्षण) कानून, 1986
- पर्यावरण का नियम 5 (संरक्षण नियम) 1986
- ध्वनि प्रदूषण (नियमन) नियम 2000

ध्वनि स्तर क्या है?

उत्तर - यहां आम तौर पर 90 डेसिबल से ज़्यादा शोर बना रहता है। यह खतरनाक है।

प्रश्न - क्या ध्वनि प्रदूषण फैलाना अपराध है?

उत्तर - पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और इसके तहत बने नियमों [ध्वनि प्रदूषण (नियमन और नियंत्रण) सम्बंधी नियम 2000)] के अंतर्गत यह एक अपराध है।

प्रश्न - पर्यावरण (संरक्षण) नियमों की मुख्य विषयवस्तु क्या है?

उत्तर - इसमें निम्नलिखित बातें कही गई हैं:

- विभिन्न क्षेत्रों में ध्वनि के मानक
- ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण लागू करने की ज़िम्मेदारी
- लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध
- शांत क्षेत्र में किसी नियम के उल्लंघन की सज़ा
- नियमों का उल्लंघन होने पर किन-किन अधिकारियों से शिकायत की जा सकती है।

प्रश्न - शांत क्षेत्र क्या है?

उत्तर - अस्पताल, शैक्षिक संस्थान और अदालत के आसपास के 100 मीटर का क्षेत्र शांत क्षेत्र कहलाता है।

प्रश्न - नियम 5 के तहत लाउड स्पीकर/उद्घोषणा तंत्रों को लेकर क्या प्रतिबंध हैं?

उत्तर - (1) सम्बद्ध अधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करने के बाद ही लाउड स्पीकर या उद्घोषणा तंत्र का इस्तेमाल किया जा सकता है।

(2) रात 10 से सुबह 6 बजे के बीच लाउड स्पीकर या उद्घोषणा तंत्र का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके अपवाद हैं सभागृह, कॉन्फ्रेंस रूम, सामुदायिक भवन।

प्रश्न - शांत क्षेत्र में कौन से काम अपराध कहलाएंगे और सज़ा के पात्र होंगे?

उत्तर - संगीत बजाना, एम्प्लीफायर का उपयोग, ढोल बजाना, किसी भी तरह के हॉर्न बजाना, वाद्य यंत्र बजाना, किसी भी तरह का मजमा, शोर उत्पन्न करने वाले कारोबार।

प्रश्न - ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए हमें किस ज़िम्मेदार व्यक्ति से शिकायत करनी चाहिए?

उत्तर - इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस कमिश्नर या इसी तरह के अन्य अधिकारी जो उप पुलिस अधीक्षक के पद से नीचे के नहीं होने चाहिए। ज़रूरी है कि इन्हें किसी कानून के अंतर्गत शोर नियंत्रण की ज़िम्मेदारी सौंपी गई हो।

प्रश्न - कोई आदेश देने से पहले उस अधिकारी को क्या करना चाहिए?

उत्तर - आवेदक या उसके किसी प्रतिनिधि को अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का मौका मिलना चाहिए और आदेश का कारण या आवेदन निरस्त करने का कारण बताया जाना चाहिए।

प्रश्न - क्या ध्वनि प्रदूषण को एक आपराधिक कृत्य माना जा सकता है?

उत्तर - भारतीय दण्ड संहिता की धारा 268 के अंतर्गत ध्वनि प्रदूषण एक आपराधिक कृत्य है।

प्रश्न - क्या ध्वनि प्रदूषण को सार्वजनिक परेशानी कहा जा सकता है? क्या इसके लिए तत्काल समाधान उपलब्ध है?

उत्तर - हां, 1973 की अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 133 से 144 में इसका प्रावधान है। इनके तहत जज को यह अधिकार है कि वह उस परेशानी को एक निश्चित अवधि में हटाने के सशर्त निर्देश दे सके। वह ये निर्देश पुलिस की रिपोर्ट या किसी अन्य व्यक्ति की शिकायत पर भी दे सकता है।

प्रश्न - क्या भारत में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण का कोई अलग और व्यापक कानून है?

उत्तर - नहीं। मौजूदा कानून ध्वनि प्रदूषण के कुछेक पहलुओं पर ही ध्यान देते हैं।

प्रश्न - आज ध्वनि प्रदूषण से निटपने के लिए सबसे सक्षम कानून कौन-सा है?

उत्तर - ध्वनि प्रदूषण (नियमन और नियंत्रण) कानून, 2000 जो 14 फरवरी 2000 से प्रभाव में आया है।

प्रश्न - क्या संविधान की धारा 25-28 के तहत दी गई धार्मिक स्वतंत्रता लोगों को यह अधिकार देती है कि वे अपनी धार्मिक आस्थाओं, कर्मकाण्डों से दूसरों

भारत में ध्वनि प्रदूषण से सम्बंधी कानून

- वायुयान एक्ट, 1934 - धारा 8 (ए)
- भारतीय वायुयान (सार्वजनिक स्वास्थ्य) नियम, 1946
- मोटरवाहन एक्ट, 1988, धारा 110 (एच), धारा 190 (2)
- फैक्ट्री एक्ट, 1948 धारा 11

को परेशान करें?

उत्तर - नहीं।

प्रश्न - अतीत में अदालतों ने ध्वनि प्रदूषण के किन मामलों में फैसले दिए हैं?

उत्तर - 1. ओम बिरांगना रिलीजियस सोसाइटी बनाम पश्चिम बंगाल सरकार (1995-96)

2. मसूद आलम बनाम पुलिम कमिश्नर (1954-55)

3. बम्बई सरकार बनाम नरेश अप्पा माली (1952)

4. अप्पाराव, एम.एस. बनाम तमिलनाडु सरकार (1995)

5. विजयानन्द पात्रा बनाम ज़िला मजिस्ट्रेट कटक (2000)

प्रश्न - उपरोक्त मामलों में कोर्ट द्वारा तय कौन-कौन से मुख्य सिद्धांत हैं?

उत्तर - (1) धर्म संस्थापकों ने कभी कामना नहीं की थी कि धर्म को माइक्रोफोन आदि से प्रसारित किया जाए।

(2) वैसे भी, धर्माचरण का अधिकार एक अबाधित अधिकार नहीं है।

(3) राज्य के पास अधिकार है कि कानून-व्यवस्था, नैतिकता आदि को कायम रखने के लिए धार्मिक अनुष्ठान/आचरण को नियंत्रित या प्रतिबंधित कर सके।

(4) किसी भी नागरिक को कुछ भी ऐसा सुनने को मजबूर न होना पड़े जिसे वह नापसंद करता है या जिसे वह सुनना नहीं चाहता या जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है।

(5) धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान एम्प्लीफायर और लाउड स्पीकर के उपयोग की अनुमति उसी हद तक दी जानी चाहिए जब तक कि उससे ध्वनि प्रदूषण न हो और लोगों के स्वास्थ्य पर इसका विपरीत प्रभाव न पड़े।

प्रश्न - चर्च के मुकदमे [दी चर्च ऑफ गॉड (फुल गॉस्पेल) बनाम के.आर. मेजेस्टिक कालोनी वेलफेयर एसोसिएशन] में सर्वोच्च न्यायालय की क्या टिप्पणी थी?

उत्तर - सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी थी कि

- धार्मिक अनुष्ठानों में लगे लोगों या संस्थाओं को यह अधिकार नहीं है कि वे अपने पड़ोसियों या आम जनता को धार्मिक प्रार्थनाओं और/या लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से परेशान करें।
- जीने के अधिकार में सुरक्षित वातावरण का अधिकार निहित है। और सुरक्षित वातावरण में ध्वनि व अन्य दृष्टि से सुरक्षित वायु निहित है।
- केवल उतनी ही आवाज़ करने की अनुमति है कि वह ध्वनि प्रदूषण का स्रोत न बने और सामान्य दिनचर्या में परेशानी भी उत्पन्न न हो।
- एक संगठित समाज में सारे अधिकार दूसरों के प्रति हमारे कर्तव्यों से जुड़े हैं।
- वैसे भी कोई धर्म यह शिक्षा नहीं देता कि अन्य लोगों की शांति भंग करके प्रार्थना की जाए।
- एक सभ्य समाज में धर्म के नाम पर ऐसे कर्मकाण्डों की अनुमति नहीं दी जा सकती जो बूढ़े या अशक्त, छात्रों या बच्चों या अन्य लोगों की नींद या चैन में खलल डालें।
- यह भूलना नहीं चाहिए कि पड़ोस में सो रहे छोटे बच्चों को शांत वातावरण में सोने का अधिकार प्राप्त है। परीक्षा की तैयारी में लगे छात्रों का अधिकार है कि वे अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकें। इसी तरह बूढ़े और अशक्त लोगों का हक बनता है कि वे अपने फुरसत के क्षण शांति से, बिना ध्वनि प्रदूषण के, गुज़ार सकें। बूढ़े, मानसिक रोगों से पीड़ित व्यक्ति और 6 साल से छोटे बच्चे शोर के प्रति संवेदनशील होते हैं। उनके अधिकारों का सम्मान करना ज़रूरी है। शोर से नींद में खलल, बातचीत में विघ्न पड़ने के साथ-साथ एकाग्रता में कमी, बहरेपन, उच्च रक्तचाप, मानसिक तनाव, डिप्रेशन, गुस्सा आने आदि का भी खतरा रहता है।

प्रश्न - धार्मिक कर्मकाण्डों के कारण होने वाले ध्वनि

प्रदूषण को लेकर न्यायिक सोच क्या है?

उत्तर - न्याय व्यवस्था धार्मिक कर्मकाण्डों के कारण होने वाले ध्वनि प्रदूषण को 'सार्वजनिक व्यवस्था और स्वास्थ्य' के तर्क के आधार पर रोकना चाहती है।

प्रश्न - क्या शिष्टाचार और नैतिकता के आधार पर धार्मिक कर्मकाण्डों के ध्वनि प्रदूषण को रोका जा सकता है?

उत्तर - धार्मिक कामों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से होने वाले शोर को संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत शिष्टाचार और नैतिकता के आधार पर भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को शिष्टाचार और नैतिकता के आधार पर काफी हद तक प्रतिबंधित करने का अधिकार राज्य को सौंपता है।

शिष्टाचार की मांग है कि हमारा व्यवहार ऐसा हो जो हमारे पड़ोसियों की जीवन की गुणवत्ता में आड़े न आए।

प्रश्न - क्या धार्मिक रिवाज़ों और अनुष्ठानों से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण से साम्प्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है।

उत्तर - भारत कई संस्कृतियों और धर्मों वाला देश है। अगर अपने आसपास के लोगों की धार्मिक संवेदनाओं और ज़रूरतों को संतुलित ढंग से न लिया जाए तो दुर्भावना और तनाव पैदा हो सकते हैं। अपने धार्मिक विश्वासों की अभिव्यक्ति में कुछ हद तक संयम बरतना ज़रूरी है।

प्रश्न - ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए?

उत्तर - सरकार को शोर सम्बंधी मानकों को कड़ाई से लागू करना चाहिए।

- ध्वनि प्रदूषण के सभी पहलुओं को समेटकर एक कानून संसद द्वारा पारित किया जा सकता है।
- ध्वनि प्रदूषण के सम्बंधित मामले एक समय-सीमा के भीतर तय होना चाहिए।
- सभी ज़िला मजिस्ट्रेटों और उप मजिस्ट्रेटों को धारा 144 के तहत आदेश पारित करने के अधिकार होने चाहिए। इसके तहत धार्मिक स्थानों और सामाजिक जलसों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के घण्टे तय होने चाहिए। *(स्रोत फीचर्स)*

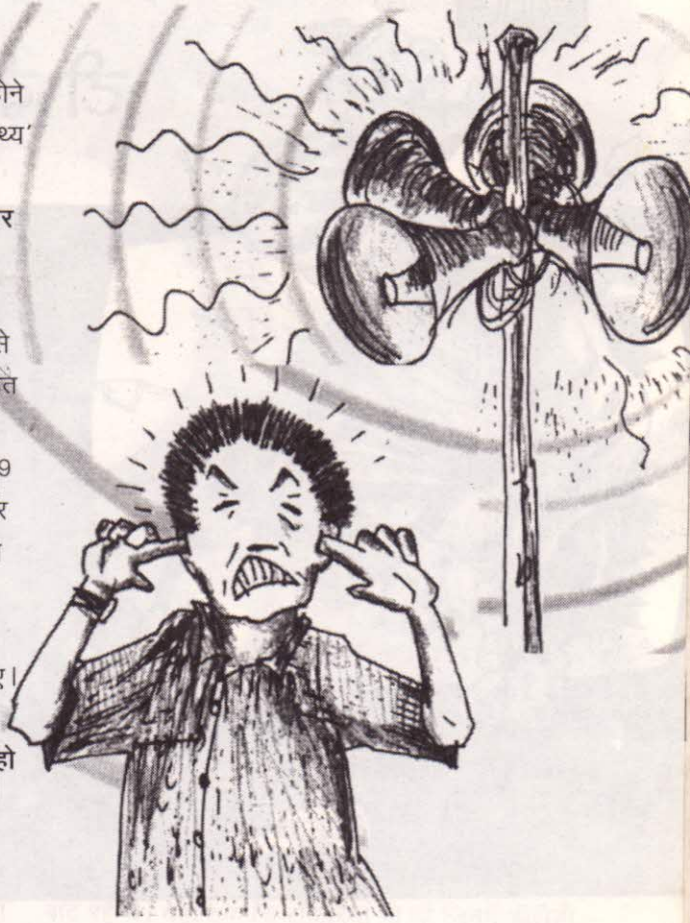

स्रोत सजिल्द

प्रत्येक वर्ष के पिछले अंक 150 रुपए में उपलब्ध हैं।

डाक से मंगवाने पर 25 रुपए अतिरिक्त।